न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 2/2022

जीसीएमएस– 2022/7

दायर दिनांक– 05.01.2022

निर्णय दिनांक– 19.02.2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. अशोक पुत्र राधेश्याम 2. जगमोहन पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन 3. कान्ता पुत्री मोहनी बाई 4. विजयलक्ष्मी पुत्री ब्रह्मानन्द निवासी आशा नर्सिंग होम हिण्डौनसिटी 5. शकुन्तला पुत्री ब्रह्मानन्द निवासी पंचायत समिति के पास हिण्डौन		1. गोपाल 2. भगवानसिंह 3. मु0 विमला 4. मु0 मीरा पिसरान नन्दराम जाति जाट निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली 5. मु0 प्रेमदेवी बेवा अतरसिंह 6. पंकज 7. ममता 8. रविन्द्र 9. संतोष 10. सीमा पिसरान अतरसिंह 11. ज्योति प्रसाद पुत्र ब्रह्मानन्द जाति ब्राह्मण निवासी खेडा–जमालपुर हिण्डौनसिटी जिला करौली 12. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1.श्री अशोक नीमनका, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–::निर्णय::– दिनांक– 23.02.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने अदालत हाजा में अप्रार्थी के [illegible] उनवानी दावा इस्तकरारहक, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, [illegible] को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थना–पत्र के मद नं0 2 में [illegible] है कि आराजी खसरा नं0 686 रकवा 26 ऐयर स्थित ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में प्रा[illegible] व हिस्सा 17/65 की [illegible] खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:17 IST
Reason: SelfAttested

19.2.24

कास्तकार है, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 व हिस्सा 1/26 के एवं अप्रार्थीगण संख्या 11 व हिस्सा 7/10 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 11 एक ही बुजुर्ग मृतक ब्रह्मानन्द की संतान हैं । सजरा में अंकित किया है कि ब्रहम्मानन्द वारिसान रामपति, मोहनदेई, विजयलक्ष्मी शकुन्तला, ज्योतिप्रसाद तथा रामपति के वारिस अशोक जगमोहन, मोहनदेई का वारिस मु0 कान्ता है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 11 को उनके मृतक पिता ब्रह्मानन्द से विरासत में प्राप्त हुई है, इसलिए मृतक ब्रह्मानन्द से विरासत में प्राप्त आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 11 सजरा के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार होने चाहिए अर्थात आराजीयात वर्णित मद नंम्बर 1 प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वहिस्सा 5/26 प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 प्रत्येक वहिस्सा 5/26 एवं अप्रार्थी संख्या 11 वहिस्सा 5/26 के खातेदार काश्तकार होने चाहिए इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उक्तानुसार हिस्सेदारी में संशोधन फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं 05 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 03.01.2022 को सुबह करीब 10.00 बजे प्रार्थीगण अपने हिस्से की सार–संभाल कर रहे थे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 मौके पर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा है, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाने का प्रयास किया कि भाईयो यदि आपको हिस्सेदारी को लेकर कोई शंका है, तो उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा करा लेते हैं, जिस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये एवं प्रार्थीगण से झगडा–फसाद करने को आमादा हुए, जिस पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से संपर्क कर रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो रिकॉर्ड में गलती का पता प्रार्थीगण को चल पाया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र दायर करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 686 रकवा 26 ऐयर स्थित ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन से प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करें, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे प्रार्थीगण के हक–हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, आराजीयात को [illegible] नहीं करें।

अतः प्रार्थना–पत्र दर्ज [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। दिनांक 12.05.2022 को अप्रार्थीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:17 IST
Reason: SelfAttested

19.2.22

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खसरा नम्बर 686 रकवा 0.26 है0 की प्रति पेश की हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 686 रकवा 0.26 है0, वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अशोक पुत्र रामपति पत्नि राधेश्याम हिस्सा 17/520 जाति ब्राह्मण, कान्ता पुत्री मोहनीबाई पत्नि राधेश्याम हिस्सा 17/260 जाति ब्राह्मण सा.देह, गोपाल पुत्र नन्दराम हिस्सा 1/130 जाति जाट सा.देह खातेदार, जगमोहन पुत्र रामपति पत्नि राधेश्याम हिस्सा 17/520 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार, ज्योतिप्रसाद पुत्र ब्रह्मानन्द हिस्सा 7/10 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार, पंकज पुत्र अतरसिंह हिस्सा 1/780 जाति जाट सा.देह खातेदार, प्रेमदेवी पत्नी स्व0 अतरसिंह हिस्सा 1/780 जाति जाट सा.देह खातेदार, विमला पुत्री नन्दराम हिस्सा 1/130 जाति जाट सा.देह खातेदार, भगवानसिंह पुत्र नन्दराम हिस्सा 1/130 जाति जाट सा.देह खातेदार, ममता पुत्री अतरसिंह हिस्सा 1/780 जाति जाट सा.देह खातेदार, मीरा पुत्री नन्दराम हिस्सा 1/130 जाति जाट सा.देह खातेदार, रवीन्द्र पुत्र अतरसिंह हिस्सा 1/780 जाति जाट सा.हेह खातेदार, विजयलक्ष्मी पुत्री ब्रह्मानन्द हिस्सा 17/260 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार, शकुन्तला पुत्री ब्रह्मानन्द हिस्सा 17/260 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार, संतोष पुत्र अतरसिंह हिस्सा 1/780 जाति जाट सा.देह खातेदार, सीमा पुत्री अतरसिंह हिस्सा 1/780 जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 686 रकवा 0.26 है0, वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में दर्ज खातेदार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जो दर्ज रिकार्ड है। जिनके अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन संयुक्त खातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक–पृथक खाता कायम नहीं हो जाता जबकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण भी मुताविक जमाबन्दी रिकोर्डेड सहखातेदार है, अतः प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.21 11:49:17 IST
Reason: SelfAttested

15.2.21

ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 686 रकवा 0.26 है0, वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 05.01.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2024.को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.24

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:17 IST
Reason: SelfAttested